



## न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-98/2017-18

श्रीपति किशोर बनाम राज्य एवं अन्य

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
24/10/17	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत वाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 5659 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा परिवाद की अनन्य सं० 528110217111700319 से श्रीपति किशोर, पिता-अवध कुमार द्विवेदी, ग्राम+पो०-केसठ, प्रखण्ड-केसठ, जिला-बक्सर का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में वाद शुरू हुआ।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक दिनांक-11.07.2018 से 18.08.2018 तक लगातार 03 (तीन) तिथियों से अनुपस्थित हैं। तदोपरान्त दिनांक-11.09.2018 को आवेदक को अंतिम मौका देते हुए दिनांक-26.09.2019 की अगली तिथि निर्धारित किया गया।</p> <p>परन्तु आवेदक दिनांक-19.12.2018, 26.03.2019, 02.05.2019 को अनुपस्थित रहें। दिनांक-25.06.2019 को आवेदक को अंतिम मौका देते हुए 14.08.2019 की अगली तिथि निर्धारित की गयी है। निर्धारित तिथि दिनांक-14.08.2019 एवं 16.10.19 को भी आवेदक अनुपस्थित रहें। प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद संचालन में अभिरूचि नहीं रह गयी है। फलस्वरूप आवेदक के लगातार वाद के संचालन में अनुपस्थित रहने के कारण वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">                       (राजीव कुमार श्रीवास्तव)                      अपर समाहर्ता, पटना                 </p> <p style="text-align: center;">                       (राजीव कुमार श्रीवास्तव)                      अपर समाहर्ता, पटना                 </p>	